रेल दावा अधिकरण,प्रधान पीठ

13/15, माल रोड,

दिल्ली-54

सं0 रे.दा.अधि./दिल्ली/राजभाषा तिमाही रपट/2012 दिनांक 8.09.2016

**संदेश**

मैं आप सभी को 'हिंदी दिवस' की बधाई देते हुए यह आग्रह करना चाहूंगी कि रेल दावा अधिकरण, प्रधान पीठ, दिल्ली कार्यालय में हिंदी के प्रयोग-प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि आप सभी अपना दिन-प्रतिदिन का अधिकाधिक सरकारी कार्य हिंदी में करने का प्रयास करें । आप सभी जानते हैं कि प्रधान पीठ कार्यालय 'क' क्षेत्र में आता है इसलिए हिंदी में कार्य करना न केवल हमारा नैतिक कर्त्तव्य है अपितु यह संवैधानिक रूप से अनिवार्य भी है । अभी हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा 01.06.2016 को हुए निरीक्षण के दौरान सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग-प्रसार पर अत्याधिक बल दिया गया । इस संबंध में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों को हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में ही जारी किया जाना अति आवश्यक है । इसके साथ-साथ हिंदी एवं अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिंदी में दिए जाने अपेक्षित हैं । सभी से अनुरोध है कि फाईलों पर नोटिंग भी अधिकाधिक हिंदी में करें तथा हाजिरी रजिस्टर में हस्ताक्षर, छुट्टी के आवेदन पत्र, पास, पीटीओ आदि हिंदी में बनाए जाएं । मैं अधिकारियों से भी अनुरोध करूंगी कि यदि कोई कर्मचारी अपना छुट्टी अथवा पास,पीटीओ हेतु आवेदन अंग्रेजी में दे तो कृपया उसे हिंदी में प्रस्तुत करने का आग्रह करें । मुझे आशा है कि हमारे इन प्रयासों से प्रधान पीठ कार्यालय में हिंदी के प्रयोग-प्रसार को बढ़ावा मिलेगा ।

अपर रजिस्ट्रार

**रेल दावा अधिकरण/प्रधान पीठ के समस्त अधिकारी/कर्मचारी**